


दिनांक 11/7/17


पंजाब की आज राजस्व लोक अदालत के मा  
द्वारा 2 पर पेस धुर्ग जमी के डाठ  
पत्र, रजिस्ट्रेशन एवं जवाब लाफार का  
अवलोकन किया गया।

जमी द्वारा वांछित अनुलोष पर  
अज्ञामी द्वारा स्पष्ट इन्कार किया गया  
है। अज्ञामी एवं जमी दोनों के ही द्वारा  
इस बाबत कोई शय या प्रमाण नहीं  
है कि यदि जमी के अधिपानुसार ही  
अनुलोष रिया लाफार राजस्व बचत का  
मुद्दा किया जाता है, कि अतीत बचत

17/7



(Signature) अधिकारी  
राजस्व विभाग

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
	<p>वाला नक़्शा किस प्रकार का रहेगा (14) उक्त हुकमी के परिणामस्वरूप पड़ोस के मौजद खान ने प्रभावित होकर इसका धामी का धारणा फल L.R. Act 136 के तहत गवर्न बरी रोलावी प्रकार के रिटायर पसफा सरमल मरी'वी अतः एत फम खारीज़ किमा माला एी फलावनी केवल शुमात रोकार रुठ रुठ हो</p> <p style="text-align: right;">               मुख्याधिकारी              समाजमण्डी           </p>

